विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चोमू, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– संतोष करोल

मु.न. 01/2014

1. रूपनारायण पुत्र महादेव प्रसाद यादव,
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मुरलीधर यादव,
   समस्त जाति अहीर, नि0 ग्राम महारखुर्द, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. गुल्ली देवी पत्नि धन्नालाल
2. रूडी देवी पुत्री धन्नालाल
3. धापा देवी पुत्री धन्नालाल
4. नाना देवी पुत्री धन्नालाल
5. नारंगी देवी पुत्री धन्नालाल
6. मीनादेवी पुत्री धन्नालाल
7. सुमन देवी पुत्री धन्नालाल
8. नन्दू देवी पत्नि रामलाल
   समस्त जाति माली, नि0 सामोद रोड, गीदाली कोठी, नीमडी, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
10. उप–पंजियक उपपंजियन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
11. कालूराम सैनी पुत्र गोपीराम सैनी, जाति माली, नि0 मोठू का बास, ग्राम पंचायत नांगल पुरोहित, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 07.08.2019

व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 18.07.2018 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 14.09.2018 को कुरेजात प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 11 की ओर से प्रा0 पत्र एतराज कुरेजात प्रस्तुत कर निवदेन किया है कि उक्त उनवानी वाद में मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2018 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई हैं, जिसमें मान्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 द्वारा उक्त वाद में विवादित ख.न. 3099/5 रकबा 0.16 हैक्टेयर में अपना हिस्सा मन प्रतिवादी संख्या 11 को विक्रय किया गया हैं तथा जिस क्रयशुदा 6/7 भाग पर प्रतिवादी संख्या 11 मौके पर काबिज कास्त हो व पुख्ता डंडे का निर्माण कर रखा है। जिस प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय में मान्य न्यायालय ने भी मन प्रतिवादी संख्या 11 को अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के द्वारा विक्रय करने के आधार पर मालिक स्वामी माना ओर उक्त विवादित खसरा नम्बर की कुरेजात मंगवायी गई जिस आदेश की अनदेखी कर राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा मौके पर गये बिना ही मनमाना कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 का कही पर नाम नही दिया गया ना ही प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 को कुरेजात में कब्जा ही दर्शाया है, जिस कारण कुरेजात रिपोर्ट मान्य न्यायालय के आदेशानुसार नही होने के कारण एवं मौके के अनुसार नही होने के कारण पुनः कुरेजात मंगवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय हैं।

वादीगण के द्वारा जवाब प्रा. पत्र बाबत आपत्ति कुरेजात का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2018 को प्रारम्भिक डिक्री पारित किया जाना स्वीकार है तथा उक्त आदेश की पालना में न्यायालय श्रीमान द्वारा कुरेजात रिपोर्ट मंगवाई गई वह जमाबन्दी में रिकॉर्डेड खातेदारों के आधार पर सही व सत्य हैं। इस कुरेजात रिपोर्ट में

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 का नाम नहीं होने की आपत्ति रिकार्ड के आधार पर गलत हैं। जबकि पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा उपरोक्त कुरेजात रिपोर्ट मौके व रिकार्ड को देखते हुए सही बनाई गई हैं। जिस कारण कुरेजात रिपोर्ट पुनः मंगवाया जाना न्यायोचित नही हैं। प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में एक अन्य वाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम संख्या 20 जयपुर महानगर मु. चोमूं में वाद संख्या 49/2014 उनवानी रूपनारायण बनाम गुल्ली देवी वगै. पेश किया गया था जिसमें पक्षकारों के मध्य दिनांक 20.04.2016 को राजीनामा हो गया था तथा अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से बतोर प्रारम्भिक आपत्ति करते हुए यह अभिकथन किये गये थे कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों में न आकर आदेश 22 नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत आता हैं। जबकि न्यायालय श्रीमान द्वारा अप्रार्थीगण/वादीगण की प्रारम्भिक आपत्ति को खारिज करते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए बतौर पक्षकार बनाया गया।

अतः प्रस्तुत जवाब ऐतराज प्रा0 पत्र, कुरेजात, पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन एवं बहस पर मनन उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऐतराज प्रा0पत्र दिनांक 30.05.2019 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमूं को प्रतिवादी संख्या 11 का विकय पत्र के आधार पर नियमानुसार नामान्तकरण खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के स्तर तक का आदेश दिया जाकर 2 प्रतियों में पुनः नक्शे कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। नक्शे कुरेजात उभयपक्षकारान उपस्थिति में तैयार किये जाये।

डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 26.06.2019 को पुनः कुरेजात प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से दिनांक 22.07.2019 को प्रा0 पत्र एतराज कुरेजात प्रस्तुत किया जाकर निवदेन किया गया कि मा. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 20 जयपुर महानगर जयपुर चोमू के समक्ष एक वाद उनवानी रूपनारायण बनाम गुल्ली देवी वगै. में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से मामले का निस्तारण कर सहमति के आधार पर दावा डिक्री किया जा चुका हैं। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत कुरेजात सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना को ध्यान में रखते हुऐ नही बनाये गये हैं। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त कुरेजात रिपोर्ट में विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हो गई हैं। अतः उक्त प्रकरण में पुनः कुरेजात मंगवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रा. पत्र बाबत पुनः कुरेजात मंगवाने के संबंध में प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र का जवाब न देकर सीधे ही प्रा. पत्र बहस एवं अन्तिम बहस हेतु निवेदन किया गया हैं। जिसमें वादी के अधिवक्ता सहमत होने पर उभयपक्षकरान के अधिवक्ता की प्रा. पत्र एवं अन्तिम बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के पैरान नं. 3 में चारदीवारी बनाकर मय नक्शा निर्माण किया हुआ हैं। बेचान किया जाना अंकित किया गया हैं तथा न्यायालय के द्वारा प्रा. डिक्री रास्ते की सुविधा के लिए कहा हैं। लेकिन रास्ता कही नही रखा हैं।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि जो दुबारा संशोधित कुरेजात आये हैं। जो पूर्व के अनुसार ही आये, केवल मेरा नाम अंकित किया गया हैं तथा तहसीलदार चोमू के द्वारा दिनांक 26.06.2019 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरेजात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे अनुसार आये हैं। वादीगण की भूमि मौके पर मुख्य सड़क पर हैं। रास्ते का कोई विवाद नही। वादीगण ने प्रा. पत्र आपत्ति कुरेजात का प्रस्तुत किया है जो कि मात्र प्रकरण को विलम्ब करने की गरज से हैं एवं अपने कथनों के समर्थ में प्रस्तुत State of Uttarakhand vs. Mandir Sri Laxman 2018(1)CJ(Civ-)(SC) Page no. 44 के अनुसार उक्त वाद में वादीगण के द्वारा चाहा गया अनुतोष ही दिया जा सकता हैं, वाद में चाहे गये अनुतोष के बाहर अनुतोष नही दिया जा सकता हैं। वादीगण का प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के अभिभाषकगणों की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया गया तथा पत्रावली अवलोकन किया गया हैं। वादी का वादी केवल मात्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का हैं। जो कि वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी भूमि है। सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का इंच-इंच पर हक होता हैं। वादीगण ने पूर्व दिनांक 18.07.2018 को जारी प्रा. डिक्री की पालना में प्राप्त कुरेजात पर कोई आपत्ति नही की गई थी। दिनांक 30.

उपखण्ड अधिकारी
चोमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

05.2019 में दिये निर्देशानुसार कुरेजात प्रस्ताव पर वादीगण ने आपत्ति प्रस्तुत की गई हैं। जबकि उक्त कुरेजात पूर्व के अनुसार ही प्राप्त हुये हैं। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की भूमि जरिये विकय–पत्र प्रतिवादी सख्या 11 के द्वारा क्रय की गई थी। जिसको उक्त कुरेजात में केवल प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की जगह प्रतिवादी संख्या 11 का नाम अंकित कर प्राप्त हुये हैं।

उक्त कुरेजात पर वादीगण के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई हैं। जिससे प्रतीत होता हैं कि वादीगण उक्त को विलम्ब करना चाहते है एवं माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 20 जयपुर महानगर जयपुर चोमू के द्वारा आपसी सहमति से पारित निर्णय की पालना माननीय सिविल न्यायालय में ही की जानी हैं। वादीगण के द्वारा उक्त वाद सहखातेदारी भूमि बतायी जाकर तकासमा करवाने हेतु निवेदन किया हैं जो कि विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी भूमि हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त State of Uttarakhand vs. Mandir Sri Laxman 2018(1)CJ(Civ-)(SC) Page no. 44 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैं कि "न्यायालय अनुतोष प्रदान करने के लिए अभिवचनों से परे नहीं जा सकता है– यह केवल वही अनुतोष प्रदान कर सकता है जिसका वादी द्वारा वादपत्र में दावा किया गया है" जो पूर्णतया चस्पा होता हैं। वादीगण के द्वारा अपनी सह–खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहा हैं। वादीगण का प्रा. पत्र आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट व पुनः कुरेजात मंगवाने का खारिज किया जाकर वादी का वादी दिनांक 26.06.2019 को तहसीलदार चोमू से प्राप्त कुरेजात अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट व पुनः कुरेजात मंगवाने का खारिज किया जाकर वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 26.06.2019 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 3099/5 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम चोमू, पटवार हल्का चोमू ए, भू.अभि. नि. चोमू, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. रूपनारायण पुत्र महादेव प्रसाद, सुरेन्द्र कुमार पुत्र मुरलीधर हि. ब. जाति अहीर सा. महार खुर्द खातेदार को ख.न. 3099/5/2 रकबा 0.0202 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0202 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.81 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. कालूराम पु0 गोपीराम हि. 686/699 जाति माली नि. मोठू का बास, नांगल पुरोहित तह. आमेर गुल्ली देवी पत्नी धन्नालाल हि. 2/699 जाति माली सा. देह नन्दूदेवी पत्नी रामलाल हि. 11/699 जाति माली सा. सामोद खातेदार को ख.न. 3099/5/1 रकबा 0.1398 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1398 हैक्ट.., जिसका कुल लगान 5.60 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे मे नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

संतोष करोल
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	3	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	3	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner